

संख्या - 158 / 1-10-2009-12(73) / 2008 टी0सी0-1

प्रेषक,
जी0 के0 टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 14 जनवरी, 2009

विषय: वर्ष 2008-09 में बाढ़/बादल फटने से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-706/आपदा-2008, दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक 06 जनवरी, 2009 में लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2008-09 में बाढ़/बादल फटने से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन हेतु पूर्व में आवंटित एवं जनपद स्तर पर उपलब्ध आपदा राहत निधि की धनराशि **रु0 1,10,17,000/- (रुपये एक करोड़ दस लाख सत्रह हजार मात्र)** को व्यय करने की अनुमति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2 शासनादेश संख्या-3665 / 1-10-2008-12(73) / 2008, दिनांक 29 जुलाई, 2008 द्वारा वर्ष 2008-09 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों का सम्बन्धित जनपदों द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। रु0 1.00 करोड़ से अनधिक के प्रस्ताव शासन स्तर पर स्वीकृत करने हेतु प्रस्तुत न किया जाय। जनपद स्तर पर अवस्थापना सम्बन्धी ऐसे कार्य जो आपदा राहत निधि के लिए लागू शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले हों तथा जिनकी कुल लागत रु0 20.00 लाख से अधिक न हो, का अनुमोदन करने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय राहत समिति गठित की गयी है। इस समिति के अनुमोदन के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। यदि प्रस्तावित कार्य की लागत रु0 20.00 लाख से अधिक, परन्तु रु0 1.00 करोड़ से अनधिक हो तो कार्य के अनुमोदन हेतु मण्डल स्तरीय राहत समिति को प्रस्तुत किया जायेगा।

e-A.M.Alt Flood-08

1

इस हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है। इस समिति के अनुमोदनोपरान्त मण्डलायुक्त द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जायेगी तथा वित्तीय उपलब्धता के आधार पर सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। तदोपरान्त सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अपेक्षित तकनीकी स्वीकृति जारी की जायेगी एवं विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। ₹0 1.00 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव शासन स्तर पर गठित राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाय।

3. आपदा राहत निधि में से वर्ष 2008 में बाढ़/बादल फटने से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने के उद्देश्य से आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स की मद संख्या-18 के अधीन क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन के कार्यों पर धनराशि की आवश्यकता का निर्धारण करते हुए विभागीय मानको एवं लोक निर्माण विभाग के शेड्यूल रेट के अनुसार व्यय की जायेगी। कार्यों की सत्त निगरानी/गुणवत्ता हेतु मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी तकनीकी प्रशासनिक अधिकारियों की टास्क फोर्स भी गठित करेंगे, जिसके द्वारा कार्यों का औचक निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से किया जाय। मण्डलायुक्त द्वारा भी मासिक बैठक में आपदा राहत निधि के अन्तर्गत निर्गत धनराशि एवं उसके उपयोग की समीक्षा की जायेगी एवं मण्डलीय टास्क फोर्स के माध्यम से कार्यों का निरीक्षण सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय की जाने वाली धनराशि आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स तथा मानक के अनुरूप हो। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उक्त निरीक्षण आख्या तथा जांच दल द्वारा निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए पूर्ण सूचना/आख्या शासन को अनिवार्य रूप से 02 दिन में उपलब्ध करायी जाय।

4. बाढ़/बादल फटने से क्षतिग्रस्त एवं अनुमन्य श्रेणी के कार्यों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन कराने हेतु सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी आगणन तैयार करायेंगे।

5. आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि व्यय किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं हेत प्रथम किश्त के रूप में 60 प्रतिशत धनराशि तत्काल अवमुक्त कर दी जाय। मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी एवं प्रशासनिक अधिकारियों की टास्क फोर्स के सत्यापन रिपोर्ट के पश्चात द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि अवमुक्त की जाय। आपदा राहत निधि की धनराशि से नये



निर्माण कार्य कदापि न कराये जाय। आपदा राहत निधि की धनराशि से बाढ़/बादल फटने से क्षतिग्रस्त मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कर लिया जाय। केवल जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त के अधिकार क्षेत्र की रू० 1.00 करोड़ (प्रत्येक) से न्यून की उतनी संख्या में परियोजनाओं के लिए धनराशि अवमुक्त की जाय, जो रू० 110.17 लाख में पूर्ण हो सके।

6. तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाली विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा। जिला स्तरीय आपदा राहत समिति, मण्डल स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक के कार्यवृत्त की प्रतियाँ एवं स्वीकृत परियोजनाओं का विस्तृत आंगणन जिसमें क्षति का कारण, लागत, परियोजना की मरम्मत का औचित्य इत्यादि की पूर्ण सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

7. मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं पर व्यय होने वाली धनराशि की सूची मा० जन प्रतिनिधियों को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय तथा इसके व्यय में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाय।

8. आपदा राहत निधि से स्वीकृत उक्त धनराशि का अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु प्रयोग कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिए किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को आवंटित नहीं हुई हो।

9. बाढ़ के अतिरिक्त यदि किसी क्षेत्र विशेष में 150.00 मिमी० वर्षा 24 घन्टे के अन्दर रिकार्ड की गयी हो, तो उस क्षेत्र विशेष में उसे अप्रत्याशित वर्षा माना जायेगा तथा आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स में बादल फटने की घटना मानते हुए दैवी आपदा माना जायेगा और तदनुसार शासनादेश संख्या-4253/1-10-2008-14(75)/2008, दिनांक 12 सितम्बर, 2008 के प्राविधान लागू होंगे। शासनादेश संख्या-4708/1-10-2008-14(75)/2008, दिनांक 07 अक्टूबर, 2008 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए जिलाधिकारी स्तर पर निर्णय लिया जायेगा।

10. जिलाधिकारी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि बादल फटने से क्षतिग्रस्त तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं के कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृत किये जाय, जो अनुमन्य श्रेणी में आते हैं। बाढ़ तथा बादल फटने की घटना के अतिरिक्त अन्य किसी कारणों से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/रेस्टोरेशन के कार्य आपदा राहत निधि से अनुमन्य नहीं होंगे।



11. बाढ़/ बादल फटने से क्षतिग्रस्त परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन विभागीय प्रक्रियाओं के अन्तर्गत कराया जाय तथा मण्डल स्तरीय एवं जिला आपदा राहत समिति द्वारा गठित तकनीकी समिति के अनुमोदन के पश्चात ही विभाग को धनराशि उस सीमा तक ही तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों मरम्मत/रेस्टोरेशन सम्बन्धी परियोजनाओं पर व्यय हेतु निर्गत की जाय। सम्बन्धित विभाग से यह प्रमाण पत्र ले लिया जाय कि उक्त परियोजनाओं में वांछित विभागीय मानकों के अनुरूप वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया गया है।

12. आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा।

13. उक्त स्वीकृत धनराशि से बाढ़/बादल फटने से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने के उद्देश्य से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों को कराये जाने से पूर्व कार्यदायी संस्था फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी करायेगी तथा कार्य के पूर्ण निष्पादन उपरान्त फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी कराकर व्यय सम्बन्धी मस्टररोल, एम0बी0 तथा अन्य सम्बन्धी बाउचर जिलाधिकारी को अग्रिम के समायोजन के साथ प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक चरण में की गयी फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी की एक प्रति जिलाधिकारी के माध्यम से मण्डलायुक्त तथा शासन के राजस्व अनुभाग-10 में भी उपलब्ध करायी जायेगी। उपरोक्त कार्यों की एक निदर्शिनी भी प्रकाशित की जाय, जिसके अन्तर्गत जनपद में आपदा सम्बन्धी किये गये कार्यों का विवरण हो। इस निदर्शिनी को मण्डलायुक्त, राहत आयुक्त एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाय तथा इसे जनपद की वेबसाइट पर भी जन सूचना हेतु उपलब्ध कराया जाय।

14. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार विभागों को धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को प्रत्येक माह की पांच तारीख तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

15. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा

हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट पर <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनांक 10 फरवरी, 2009 तक शासन को समर्पित कर दिया जाय।

16. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

17. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।

18. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(जी० के० टण्डन)

राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या - 158 (1)/1-10-2009-12(73)/2008 टी०सी०-1, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा)/ महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ० प्र० इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, गोरखपुर।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ० प्र० लखनऊ।
4. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
5. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/बजट सहायक राजस्व अनुभाग-10/ राजस्व अनुभाग-6/11/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
6. चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)

उप सचिव।